उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-80/2017/350/92-2-17-121जॉच/2016
लखनऊ:: दिनांक 25 मई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद चित्रकूट में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्यो के सम्पन्न कराने में उदासीनता/लापरवाही बरतने, "क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल" योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में अनुरक्षण आदि कार्य न किये जाने तथा शासकीय कार्यो में रूचि न लेने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-74/2016/ 1812/ 92-2-16-121जांच/2016, दिनांक 22-11-2016 द्वारा श्री मनोज कुमार गर्ग, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा जिनके पास अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद-चित्रकूट का भी अतिरिक्त कार्यभार था, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री मनोज कुमार गर्ग को कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर से सम्बद्व किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के पत्र दिनांक 26-02-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित 05 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाये गये परन्तु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्यो को सम्पन्न कराने में उदासीनता/लापरवाही बरतने, "क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना" के अंतर्गत चयनित विद्यालयो में अनुरक्षण आदि कार्य न किये जाने तथा शासकीय कार्य में रूचि न लेने के लिए दोषी पाया गया। अत: श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा (सम्प्रति निलम्बित) जिनके पास अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद-चित्रकूट का अतिरिक्त कार्यभार था, का निलम्बन समाप्त करते हुए तत्कालिक प्रभाव से सेवा में बहाल किया जाता है तथा उक्त अनियमितता के लिये निम्नवत "**परिनिन्दा**" का दण्ड देते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 24-11-2016 को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनपद चित्रकूट में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्यो के सम्पन्न कराने में उदासीनता/लापरवाही बरतने, "क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल" योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में अनुरक्षण आदि कार्य न किये जाने तथा शासकीय कार्यो में रूचि न लेने के लिए श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा को **परिनिन्दित** किया जाता है।" यह परिनिन्दा वर्ष 2016-17 के लिये मानी जायेगी।

3- उक्त बहाली के पश्चात श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा (सम्प्रति निलम्बित) की तैनाती के आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 80/2017/350(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रविष्टि श्री मनोज कुमार गर्ग के चरित्र पंजिका में रखी जाय।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।